

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-242 के तहत
वाद संख्या-R.M. 02/2014-15

1. चमर सिंह मुण्डा, पे०-स्व० बिषम्बर सिंह मुण्डा,
2. शिव नाथ मुण्डा, पे०-स्व० ठाकुर बाबु, दोनों सा०-कुरकुट्टा,
पो०-जिलिंगसेरेंग, थाना-तमाड़, जिला-राँची।.....आवेदकगण।
बनाम
1. गुटू मुण्डा, पे०-सोना मुण्डा, सा०-बीरगाँव, पो०-सारजमडीह,
थाना-तमाड़, जिला-राँची।.....विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में आवेदक की ओर से विपक्षी के विरुद्ध निम्नांकित भूमि पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-242 के तहत वाद दायर किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भूमि को छो०का०अधि० की धारा-242 के तहत कार्रवाई कर वापस दिलाया जाय।


भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खेवट सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा (ए०)
कुरकुट्टा तमाड़/202		20/2	256	1083	4.49
				1095	1.26
				1168	2.08

आवेदन पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अंचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। वाद में उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं उनकी ओर से जवाब दाखिल किया गया।

विपक्षी की ओर से दाखिल किए गए जवाब में उनके द्वारा निम्नलिखित कथन उल्लेख किया गया है:-

- 01) यह कि उपरोक्त भूमि खाता सं०-256 आर.एस. खतियान में बकास्त लगान पानेवाला खेवट नं०-20/2 लाल बाबु वगैरह के नाम पर दर्ज है। आर.एस. खेवट नं०-20/2 लाल बाबु वल्द बुधु बाबु वो गोपाल बाबु वल्द ठाकुर बाबु वो सुखलाल बाबु वल्द मंगल बाबु कौम मुण्डा शाकीन देह बहिस्सा बराबर दर्ज है।
- 02) यह कि इस वाद में उभय पक्ष एक ही खानदान के हैं एवं एक ही खेवट (खेवट नं०-20/2) के वंशज हैं जिनकी वंशावली निम्न प्रकार है:-



21.10.2020

४६..

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तथा सहित															
	<p>03) यह कि आवेदक खेवटदार लाल बाबु के वंशज हैं तथा विपक्षी खेवटदार गोपाल बाबु के वंशज हैं। आवेदक ने गोपाल बाबु एवं सुखलाल बाबु को नावल्द बताया है जबकि गोपाल के वंशज जीवित हैं जो विपक्षीगण हैं। आवेदक ने गलत वंशावली प्रस्तुत कर विपक्षी के जमीन को हड़पने के नियत से झूठा मुकदमा दायर किया है।</p> <p>04.) यह कि वर्तमान में विवादित भूमि के कुछ जमीन पर आवेदक दखलकार है तथा कुछ पर विपक्षी दखलकार है। विपक्षी का घर ग्राम-वीरगाँव, थाना-तमाड़ में भी है परन्तु उपरोक्त खेवट सं०-20/1 के अपने हिस्से की जमीन पर दखलकार होकर पूर्वजों के समय से खेती आबाद करते आ रहे हैं।</p> <p>05.) यह कि उपरोक्त वाद किसी भी परिस्थिति में चलने योग्य नहीं है चूँकि कहीं भी धारा-242 का उल्लंघन नहीं हुआ है, प्रथम दृष्टया खारिज करने योग्य है। उभय पक्ष एक ही एक ही खेवट (खेवट नं०-20/2) के वंशज हैं एवं एक ही खानदान के हैं। अतः यह मुकदमा परिपोषनीय नहीं है तथा खारिज करने योग्य है। इस तरह विपक्षी की ओर से आवेदकगण के आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया। आवेदक की ओर से दाखिल किए गए जवाब में उनके द्वारा निम्नलिखित कथन का उल्लेख किया गया है:-</p> <p>01) यह कि आर.एस. खतियान में बकास्त लगान पानेवाला लाल बाबु वगैरह दर्ज है। खेवट नं०-20/2 का वंशावली इस प्रकार है।</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">बुधु बाबु</td> <td style="text-align: center;">ठाकुर बाबु</td> <td style="text-align: center;">मंगल बाबु</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">लाल बाबु</td> <td style="text-align: center;">गोपाल बाबु</td> <td style="text-align: center;">सुखलाल बाबु</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ठाकुर बाबु</td> <td style="text-align: center;">(नावल्द)</td> <td style="text-align: center;">(नावल्द)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">विशेश्वर सिंह मुण्डा</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">शिवनाथ सिंह मुण्डा (आवेदक)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">चमर सिंह मुण्डा (आवेदक)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>02.) यह कि उपरोक्त वंशावली के अनुसार आवेदकगण का विवादित भूमि पर एकमात्र अधिकार है। इस प्रकार विवादित भूमि आवेदकों का मुण्डारी खुँटकट्टी जमीन है, जिसको विपक्षी ने गलत ढंग से धारा 240 छो०का०अधि० का उल्लंघन कर दखलकार है, जिसका आवेदकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है।</p> <p>03.) यह कि विपक्षी द्वारा जो वंशावली दर्शाया गया है वह गलत है। उनके वंशावली अनुसार खतियानी रैयत गोपाल बाबु पिता ठाकुर बाबु नावल्द नहीं हुआ है और विपक्षी इनके ही वंशज हैं। जो सरासर गलत एवं बनावटी है।</p> <p>04.) यह कि विपक्षी का यह कहना कि आवेदक एवं विपक्षी एक ही खानदान के वंशज है जो कि सरासर गलत है चूँकि विपक्षी आवेदकगणों के लिए अजनबी हैं। आवेदक ग्राम-कुरकुटा तमाड़, राँची एवं विपक्षी ग्राम-वीरगाँव, तमाड़, राँची का निवासी है, दोनों गावों की दूरी काफी है और ये एक वंश के नहीं है।</p> <p>05.) यह कि दखल-कब्जा के बिन्दु पर यह कहना है कि विवादित भूमि पर विपक्षी दखलकार है जिसका सत्यापन विपक्षी के जवाब पारा-7 एवं 10 में उल्लेखित है। आवेदकगणों की ओर से सच्चा एवं वास्तविक मुकदमा दायर किया गया है। अतः आवेदकगणों का आवेदन को स्वीकार करते हुए विपक्षी को विवादित भूमि से हटाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, तमाड़ के पत्रांक-377(ii) दिनांक-31.07.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि मुण्डारी खुँटकट्टी है। वर्तमान में भूमि पर चमर सिंह मुण्डा का दखल-कब्जा है। मुखिया एवं वार्ड सदस्य के द्वारा सत्यापित वंशावली के अनुसार आवेदक खतियानी रैयत लाल बाबु वल्द बुधु के</p>	बुधु बाबु	ठाकुर बाबु	मंगल बाबु	लाल बाबु	गोपाल बाबु	सुखलाल बाबु	ठाकुर बाबु	(नावल्द)	(नावल्द)	विशेश्वर सिंह मुण्डा	शिवनाथ सिंह मुण्डा (आवेदक)		चमर सिंह मुण्डा (आवेदक)			
बुधु बाबु	ठाकुर बाबु	मंगल बाबु															
लाल बाबु	गोपाल बाबु	सुखलाल बाबु															
ठाकुर बाबु	(नावल्द)	(नावल्द)															
विशेश्वर सिंह मुण्डा	शिवनाथ सिंह मुण्डा (आवेदक)																
चमर सिंह मुण्डा (आवेदक)																	

आदेश की क्रम सं० एवं
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गयी
टिप्पणी तारीख सहित

वंशज हैं तथा अन्य दो खतियानी रैयत क्रमशः गोपाल बाबु वल्द ठाकुर बाबु एवं सुखलाल बाबु वल्द मंगल बाबु नावल्द है। जिसका सत्यापन अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नहीं किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के दलील को सुनने, अभिलेखबद्ध दस्तावेजों एवं अंचल अधिकारी, तमाड़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के परिशीलनोपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विवादित भूमि पर दोनों ही पक्ष दखलकार है साथ ही उभय पक्ष के बीच वंशावली में विवाद है जिसका समाधान हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है। अतः आवेदकगण द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-242 के तहत दायर आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

४.२/१०

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

४.३/१०

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।